आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 836/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यस बैंक लिमिटेड, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं. ओ–19–ए, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स अनुज एण्ड कम्पनी जरिये पार्टनर राजेन्द्र प्रसाद यादव एवं सुरेश कुमार यादव,
   पता :– लोहरवाड़ा मोड़, के. डी. कॉलोनी, लोहरवाड़ा, तहसील चौमूं, जयपुर।
   एवं 221, सादका वाली ढ़ाणी, वार्ड नं. 7, हाडोता, तहसील चौमूं, जयपुर।
   एवं 469, धाबादो की ढ़ाणी, उदयपुरिया, हाथनोदा, तहसील चौमूं, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 9–10, खसरा संख्या 1021/7, के. डी. रेजीडेन्सी III, ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र श्री बलदेव प्रसाद यादव,
   पता :– 221, सादका वाली ढ़ाणी, वार्ड नं. 7, हाडोता, तहसील चौमूं, जयपुर।
   एवं मैसर्स अनुज एण्ड कम्पनी, लोहरवाड़ा मोड, के. डी. कॉलोनी, लोहरवाड़ा, तहसील चौमूं, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 9–10, खसरा संख्या 1021/7, के. डी. रेजीडेन्सी III, ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. श्री सुरेश कुमार यादव पुत्र श्री हरदेव यादव,
   पता :– 469, धाबादों की ढ़ाणी, उदयपुरिया, हाथनोदा, तहसील चौमूं, जयपुर।
   एवं मैसर्स अनुज एण्ड कम्पनी, लोहरवाड़ा मोड, के. डी. कॉलोनी, लोहरवाड़ा, तहसील चौमूं, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 9–10, खसरा संख्या 1021/7, के. डी. रेजीडेन्सी III, ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री अविनाश कुम्भज, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश **दिनांक 26.12.2022**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 30.05.2018 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव के स्वामित्त्व की वाणिज्यिक संपत्ति प्लॉट नं. 9–10, खसरा संख्या 1021/7, के. डी. रेजीडेन्सी III, ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 55.55 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 17,70,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.03.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 17,70,000/–रुपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 05,71,129.31/– रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक [illegible] को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था का बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव के स्वामित्व की बंधक वाणिज्यिक सम्पत्ति प्लॉट न. 9–10, खसरा संख्या 1021/7, के. डी. रेजीडेन्सी II, ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील चौमू, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 55.55 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा वांछित सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक **26.12.2022** को खुले इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर), जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)